

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2

॥ विधान सभा तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥
मंगलवार, 18 जुलाई, 1995 / आषाढ़ 27, 1917 ॥शक॥

संख्या. 204

सदस्यों की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उपायुक्त पुलिस, नई दिल्ली ज़िला, नई दिल्ली से दिनांक 12 जुलाई, 1995 को निम्नलिखित संसूचना 13 जुलाई, 1995 को प्राप्त हुई :

" मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के माननीय सदस्य श्री अजय माफन एवं श्री हारून युसुफ को उनके अन्य सहयोगियों सहित आज अर्थात् 12.7.95 को अपराह्न 12.15 बजे मंडी हाउस के नज़दीक, नई दिल्ली से पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़रबन्द किया गया ।

उन्हें उसी स्थान से उसी दिन अर्थात् 12.7.95 को अपराह्न 12.23 बजे रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)

Tuesday, July 18, 1995/Ashadh 27, 1917 (Saka)

No. 204

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 12.7.95 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 13th July, 1995 :-

"I have the honour to inform you that Shri Ajay Maken and Shri Haroon Yusuf, Hon'ble Members of Legislative Assembly, N.C.T. of Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from round about Mandi House, New Delhi at 12.15 P.M. today i.e. 12.7.95.

They were released at 12.23 P.M. from the same place, the same day i.e. 12.7.95.

P.N. GUPTA
SECRETARY